दिनांक	आज्ञा-पत्र
30/9/19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण का वाद साबित नहीं होने से व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Rj4
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/06/2016

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री हरिप्रसाद पारीक उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर
2. बालचंद पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद पारीक उम्र 36 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती
अ. धा. 88 राज. काश्तकारी अधि. एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–
श्री किशोर सिंह मील वकील वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक– 30.09.2019

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है विवादित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 3.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला– सीकर में बक्सीराम, जवानीराम पिता पन्नाराम पुरोहित के नाम से दर्ज थी दोनों ही जाऔलाद फौत हो गये तथा बक्सीराम के गोद का पुत्र हरिप्रसाद एकमात्र दोनों का प्रथम श्रेणी का दत्तक पुत्र होने के कारण वारिस था, इस कारण दिनांक 12.01.69 को नामान्तकरण संख्या 69 के जरिए बक्सीराम व जवानीराम का लिगल वारिस उसका दत्तक पुत्र मानते हुये खातेदारी हरिप्रसाद पुत्र बक्सीराम के नाम दर्ज की गई। सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबन्दी के दौरान बिना किसी आदेश व बिना किसी न्यायालय के निर्णय के भू0 अ0 नि0 हरिसिंह ने जमाबन्दी में नोट लगाकर लिख दिया कि मौका जांच की रिपोर्ट के अनुसार खाता बदस्तुरपूर्वक रखा जावें, जिसमें न तो कोई दिनांक डाली गई ना ही किसी आदेश के अनुसार रिपोर्ट का उल्लेख किया गया और खाता वापिस बक्सीराम, जवानीराम पुत्र पन्नाराम पुरोहित सादेह हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया, उसके बाद खातेदारी बक्सीराम आदि के नाम चलती रही। सम्वत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी में पुनः विपणीयों में नोट लगाकर उल्लेख किया गया कि जरिए परिशोधन पत्र सं. 21 श्रीमान् ए.एस. ओ. साहब, सीकर के आदेशानुसार खसरा नम्बर 25, 155, 156 मु0 बादामी बेवा लादूराम कौम पुरोहित के नाम दर्ज किया गया। उक्त टिप्पणी के आधार पर खातेदारी बादामी बेवा लादूराम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जाति पुरोहित सा.देह के नाम से दर्ज होकर आज तक बादामी के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। हरिप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस निम्न प्रकार है:–

हरिप्रसाद

गीता देवी (पत्नी)
वादी सं. 1

बालचंद (पुत्र)
वादी सं. 2

बादामी देवी ने माननीय जिला कलक्टर के समक्ष ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 03.03.69 के विरूद्ध अपील पेश की थी। उक्त अपील को माननीय जिला कलक्टर द्वारा खारिज करते हुये ग्राम पंचायत नेतडवास की आज्ञा दिनांक 3.3.69 को बहाल रखा गया उसके बावजूद बिना किसी आदेश के भू.अ.नि. को खातेदारी स्वंय द्वारा हस्तानान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके बावजूद कानून विरूद्ध स्थिति का उल्लेख कर खातेदारी हस्तानान्तरित की गई है, जिसको निरस्त फरमाया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हरिप्रसाद के वारिसान के नाम दर्ज की जावें तथा बादामी देवी के नाम से दर्ज खातेदारी हटाई जाकर बादामी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किया जावें। बादामी देवी भी नाऔलाद फौत हो चुकी है, उनके कोई विधिक वारिस नहीं है, इसलिए उक्त वाद पत्र में उन्हें विपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ग्राम पंचायत नेतडवास द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 69 को आज तक किसी भी अदालत द्वारा निरस्त नहीं फरमाया है, इसलिए आज दिवस तक ग्राम पंचायत नेतडवास की आज्ञा व निर्णय दिनांक 03.03.69 प्रभावी है, इसलिए भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण स्व0 हरिप्रसाद के प्रथम श्रेणी में लिगल वारिस होने के कारण वादीगण के पक्ष में वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की उद्घोषणा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण के पति व पिता ने अपने जीवनकाल में कोई मुकदमा लड़ा था, जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी तथा वादीगण ग्रामीण परिवेश के अज्ञान व्यक्ति है जिसके कारण खातेदारी तब्दीली की जानकारी नहीं हुई, जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में खातेदारी बिदामी देवी के नाम दर्ज होने की जानकारी मिलने पर पुराने दस्तावेजों को देखने व राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर पूर्ण जानकारी हुई, इस प्रकार दिनांक 30.04.2015 को पूर्ण जानकारी होने से वाद पत्र का वाद कारण उत्पन्न होकर दावा अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने के कारण वाद सादर प्रस्तुत है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर उद्घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 156 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 82 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 3.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.68 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.02 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला– सीकर के राजस्व रिकार्ड में बिदामी देवी बेवा मु0 लादूराम कौम पुरोहित सादेह का नाम हजब किया जाकर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज किया जावें इस प्रकार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्ती फरमाया जावें। Ri'y

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स्वयं भूमिधारी पक्षकार होने के कारण तहसीलदा, धोद से रिपोर्ट प्रकरण में ली गई, जो कि तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./16/3823 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. बहस एकपक्षीस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का सिविल न्यायालय में राजिस्ट्री निरस्तीकरण का दावा है। इस न्यायालय में हस्तगत वाद उद्घोषणा का है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है। हरिप्रसाद फौत हो चुके है, जिनके विधिक वारिस वादीगण है। अतः उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बिदामी देवी बेवा मु0 लादूराम कौम पुरोहित सादेह का नाम हजब किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

4. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त दावे में वादीगणों का मूल प्रश्न यह है कि विवादित आराजी बक्सीराम जवानीराम पि. पन्नाराम पुरोहित नि. माजीपुरा के नाम पर दर्ज थी। बक्सीराम व जवानीराम दोनों लाआलौद फौत हो चुके हैं, जिनका एकमात्र विधिक वारिस बक्सीराम का दत्तक पुत्र वादी सं. 1 का पति व वादी सं. 2 का पिता हरिप्रसाद है। हम हरिप्रसाद के वारिस है। अतः हमें विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे। इससे स्पष्ट है कि उक्त दावे में खातेदारी की उद्घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादीगणों को प्रमाणित करना है कि वादीगणों का पति/पिता हरिप्रसाद बक्सीराम का गोद पुत्र है। वादीगणों ने हरिप्रसाद को बक्सीराम द्वारा गोद लिये जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगणों द्वारा किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हरिप्रसाद को बक्सीराम ने गोद लिया था। अतः वादीगण अपने पति/पिता हरिप्रसाद को बक्सीराम का दत्तक पुत्र प्रमाणित करने में असफल रहे हैं, इसलिए वादीगण का वाद उनके पक्ष में डिक्री किया जाना संभव नहीं है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद जि. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Not Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती गीता देवी आदि बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 06 / 2016 निर्णय दिनांक– 30.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री किशोर सिंह मील मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद साबित नहीं होने से व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु0 सीकर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		आज्ञा के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner